भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2730

उत्तर देने की तारीख: 04.08.2026

हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिक

2730. श्री राहुल गांधी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्रमशः हाथ से मैला ढोने तथा सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई कार्य में लगे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने कार्मिकों को चिह्नित किया गया है और कितने लोग इन कार्यों में संलग्न है;

(ख) वर्ष 2019 से अब तक प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत दर्ज की गई मौतों की वर्ष-वार संख्या कितनी है और कितने मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिवार्य किए गए 30 लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है और कितने मामले अभी भी लंबित हैं;

(ग) क्या जोखिमपूर्ण सफाई के दौरान दर्ज की गई मौतें संसद में बार-बार दिए गए उन उत्तरों से मेल खाती हैं जिनमें कहा गया है कि हाथ से मैला ढोने के कारण कोई मौत दर्ज नहीं की गई है और यदि हां, तो इस वर्गीकरण में अंतर के क्या कारण हैं;

(घ) क्या जिलों द्वारा प्रस्तुत किए गए हाथ से मैला ढोने के संबंध में "शून्य" स्व-प्रमाणनों की कोई संपरीक्षा की गई है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और अशुद्ध प्रमाणन के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या सरकार के पास पूर्ण मशीनीकरण, प्रभावित कामगारों और उनके आश्रितों की नई पहचान तथा पुनर्वास के लिए समयबद्ध लक्ष्य हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस अधिनियम, 2013)" के अनुसार, वर्ष 2024-25 के दौरान देश के सभी जिलों में एक नया सर्वेक्षण किया गया है जिसमें कोई भी हाथ से मैला उठाने वाला व्यक्ति नहीं पाया गया है। तथापि, 2013 और 2018 में किए गए पिछले दो सर्वेक्षणों के दौरान 58,098 हाथ से मैला उठाने वालों (एमएस) को चिह्नित किया गया है। चिह्नित हाथ से मैला उठाने वालों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **संलग्नक-I** में दी गई है।

सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (एसएसडब्ल्यू) की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए जुलाई, 2023 में राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते) शुरू की गई है। इस योजना के तहत, पूरे देश में 89,915 सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों का सत्यापन किया गया है। सत्यापित सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों का राज्य-वार विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है।

(ख) और (ग): हाथ से मैला उठाने के कारण किसी की मौत की सूचना नहीं मिली है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) की रिपोर्ट के अनुसार, 01.01.2019 से 30.06.2026 तक सीवर और सेप्टिक टैंकों की परिसंकटमय सफाई के कारण जान गंवाने वाले सफाई कर्मियों की संख्या, उन्हें दिए गए पूर्ण मुआवजे और लंबित मामलों का विवरण **संलग्नक-III** में दिया गया है।

"हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" (एमएस अधिनियम, 2013) की धारा 21(घ) और 21(छ) के अनुसार, "हाथ से मैला उठाना" और "परिसंकटमय सफाई" की परिभाषा इस प्रकार है:-

परिसंकटमय सफाई की परिभाषा [धारा 21(घ)]:

किसी मलनाली या मलाशय के संबंध में, किसी कर्मचारी द्वारा ''परिसंकटमय सफाई'' से नियोजक द्वारा संरक्षात्मक साधनों और अन्य सफाई करने की युक्तियां उपलब्ध कराने की अपनी बाध्यताओं को पूरा किए बिना और सुरक्षा संबंधी ऐसी पूर्वावधानियों का, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित या उपबंधित की जाएं, अनुपालन सुनिश्चित किए बिना ऐसे कर्मचारी द्वारा किया गया उसका सफाई कार्य अभिप्रेत है।

हाथ से मैला उठाना की परिभाषा [धारा 21(छ)]:

"हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनयिम के प्रारंभ पर या उसके पश्चात किसी समय किसी अस्वच्छ शौचालय से या किसी खुली नाली या ऐसे गड्ढे में से, जिसमें अस्वच्छ शौचालयों से या किसी रेलपथ से या ऐसे अन्य स्थानों या परिसरों से, जिनको केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अधिसूचित करे, मल-मूत्र के, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, पूर्णतया विघटित होने से पूर्व, मानव मल-मूत्र को डाला जाता है, हाथ से सफाई करने, उसको ले जाने, उसके निपटान में या अन्यथा किसी रीति से उठाने के लिए किसी व्यष्टि या स्थानीय प्राधिकारी या अभिकरण या ठेकेदार द्वारा लगाया जाता है या नियोजित किया जाता है और ''हाथ से मैला उठाने'' पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा।

(घ): जी, नहीं। देश के सभी जिलों ने एमएस अधिनियम, 2013 के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और स्वयं को हाथ से मैला उठाने वाले कार्मिक से मुक्त घोषित कर दिया है।

(ङ): नमस्ते योजना के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों की प्रोफ़ाइलिंग और सत्यापन किया जाता है। इस योजना के तहत, पूरे देश में 89,915 सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों का सत्यापन किया गया है। 'राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना' (नमस्ते) के तहत इन श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाने और मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले उपाय इस प्रकार हैं:-

i. सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट ।
ii. सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण ।
iii. आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों (ईआरएसयू) के लिए सुरक्षा उपकरण।
iv. स्वच्छता कर्मियों और निजी स्वच्छता सेवा ऑपरेटरों (पीएसएसओ) को स्वच्छता संबंधी मशीनरी के लिए अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी ।
v. स्वास्थ्य बीमा कवरेज ।
vi. सीवर और सेप्टिक टैंकों की परिसंकटमय सफाई की रोकथाम पर कार्यशालाएं ।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 1 अक्टूबर, 2021 को स्वच्छ भारत मिशन–शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 की भी शुरूआत की। इसमें एक नया घटक अर्थात प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) शामिल है, जिसका एक उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंकों में परिसंकटमय प्रवेश को समाप्त करना तथा सीवर और सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई को क्रमिक रूप से बंद करते हुए मशीनों से सफाई कराना है।

संलग्नक-I

'हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिक' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2730, जिसका उत्तर दिनांक 04.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक-I

2013 और 2018 में आयोजित सर्वेक्षणों में चिह्नित हाथ से मैला उठाने वाले कार्मिकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	राज्य	चिह्नित हाथ से मैला उठाने वाले कार्मिकों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1793
2.	असम	3921
3.	बिहार	131
4.	छत्तीसगढ़	3
5.	गुजरात	105
6.	झारखंड	192
7.	कर्नाटक	2927
8.	केरल	518
9.	मध्य प्रदेश	510
10.	महाराष्ट्र	6325
11.	ओडिशा	230
12.	पंजाब	231
13.	राजस्थान	2673
14.	तमिलनाडु	398
15.	उत्तर प्रदेश	32473
16.	उत्तराखंड	4988
17.	पश्चिम बंगाल	680
	कुल योग	**58098**

'हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिक' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2730, जिसका उत्तर दिनांक 04.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक II

नमस्ते योजना के तहत सत्यापित सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (एसएसडब्ल्यू) की राज्य-वार संख्या इस प्रकार है:-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सत्यापित किए गए सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (एसएसडब्ल्यू) की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	60
2	आंध्र प्रदेश	4052
3	अरुणाचल प्रदेश	86
4	असम	466
5	बिहार	3462
6	चंडीगढ़	253
7	छत्तीसगढ़	1465
8	दमन दीव और दादरा नगर हवेली	116
9	दिल्ली	3649
10	गोवा	250
11	गुजरात	7648
12	हरियाणा	2677
13	हिमाचल प्रदेश	435
14	जम्मू-कश्मीर	727
15	झारखंड	1115
16	कर्नाटक	6312
18	केरल	1797
19	लद्दाख	21
17	लक्षद्वीप	86
20	मध्य प्रदेश	3836
21	महाराष्ट्र	8782
22	मणिपुर	185
23	मेघालय	108
24	मिजोरम	143
25	नागालैंड	105
26	ओडिशा	1294
27	पुदुचेरी	243
28	पंजाब	4465
29	राजस्थान	4082
30	सिक्किम	107
31	तमिलनाडु	6981
32	तेलंगाना	3817
33	त्रिपुरा	353
34	उत्तर प्रदेश	12463
35	उत्तराखंड	644
36	पश्चिम बंगाल	7630
	कुल	89915

संलग्नक-III

'हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिक' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2730, जिसका उत्तर दिनांक 04.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक III

01.01.2019 से 30.06.2026 तक सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई के कारण जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों की वर्ष-दर-वर्ष संख्या, दिए गए पूर्ण मुआवजे और लंबित मामलों का विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	सीवर की जोखिमपूर्ण सफाई के कारण हुई मौतों की कुल संख्या	उच्चतम न्यायालय के दिनांक 20.10.2023 के निर्णय से पूर्व मुआवजे का किया गया पूर्ण भुगतान (10 लाख रुपये)	30 लाख रुपये के पूर्ण मुआवजे का किया गया भुगतान (20.10.2023 से)	आंशिक मुआवजा दिया गया	मुआवजे की पुष्टि नहीं हुई
2019	132	120	1	3	8
2020	34	31	-	3	-
2021	62	62	-	-	-
2022	88	79	2	5	2
2023	65	42	11	6	6
2024	54	8	32	4	10
2025	47	3	23	1	20
2026 (30.06.2026 तक)	16	-	6	-	10
